International Journal of Advanced Education and Research
www.alleducationjournal.com
ISSN: 2455-5746
Received: 01-09-2022, Accepted: 18-09-2022, Published: 03-10-2022
Volume 7, Issue 4, 2022, Page No. 1-4

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016: एक समावेषित पहल

भावना धोनी[1], दिनेश चन्द्र काण्डपाल[2]
[1] सहायक प्राध्यापक, विशेष शिक्षा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल, उत्तराखण्ड, भारत
[2] सहायक प्राध्यापक, शिक्षा शास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड, भारत

सारांश
सर्वप्रथम सलमानका में 1994 में सभी के लिए शिक्षा की बात कही गयी थी जिसे हम समावेशित शिक्षा पर पहला वक्तव्य मानते हैं। जिसके प्रभाव से हमारे यहां पी0 डब्लू0 डी0 एक्ट 1995 का निर्माण हुआ। इसके बाद सन् 2001 में सर्वशिक्षा अभियान लागू किया गया। 2006 में पहली दिव्यांगजन नीति यू0एन0सी0आर0पी0डी0 (UNCRPD) और सन् 2010 में आर0टी0ई0 एक्ट लागू हुआ। राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर ये बदलाव तो देखे गये पर इनका कोई विशेष प्रभाव दिव्यांगजन शिक्षा व पुर्नवास पर नहीं पड़ा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिसम्बर 2016 में आर0पी0डब्लू0डी0 एक्ट भारत सरकार द्वारा लाया गया। जो पी0 डब्लू0 डी0 एक्ट 1995 के स्थान पर लाया गयाप् यह विशेष रूप से यू0एन0सी0आर0पी0डी0 के प्रभाव को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाता है।
प्रस्तुत अध्ययन में इसके मुख्य विशेषताओं को उल्लेखित किया गया है जिससे हम एक समावेशी समाज का निर्माण कर सकेंगें।

मूल शब्दः समावेषी, दिव्यांगजन, आर0पी0डब्लू0डी0एक्ट (RPWD ACT-2016)

प्रस्तावना
सम्पूर्ण विश्व में 10 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। अर्थात लगभग एक बिलियन लोग बिकलांग हैं जिनमें से 80 प्रतिशत जनसंख्या विकासशील देशों में निवास करती है। वैश्विक रूप से विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, पुर्नवास व समावेशन के लिए 2006 में यू0एन0सी0आर0पी0डी0 (UNCRPD) का गठन हुआ यह एक अर्न्तराष्ट्रीय घोषणा पत्र है। इसके आ जाने से दिव्यांगजनों के समावेशन में वैश्विक रूप से एक प्रभावपूर्ण बदलाव आया, चूंकि भारत भी यू0एन0सी0आर0पी0डी0 (UNCRPD) के हस्ताक्षरकर्ता देशों में एक है। इसलिये इस घोषणापत्र का प्रभाव हमारे देश में भी दृष्टिगोचर हुआ। परन्तु इसे प्रभावपूर्ण रूप से लागू करने के लिए हमें पुनः अपनी दिव्यांग नीतियों व अधिनियमों के सम्बन्ध में सोचने की आवश्यकता महसूस हुई। जिसके फलस्वरूप 2016 में आर0पी0डब्लू0डी0एक्ट (RPWD ACT-2016) का उदय हुआ। जो निशक्तजन (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधीनियम 1995 पी0डब्लू0डी0 एक्ट (PWD ACT 1995) के स्थान पर आया। इसका प्रारम्भ 2011 में एक लॉ ड्राफ्ट कमेटी के गठन के साथ हुआ इसके बाद 2014 में इसे राज्य सभा में लाया गया। फिर 14 दिसम्बर 2016 को यह राज्य सभा तथा 28 दिसम्बर 2016 को यह लोकसभा में भारी बहुमत से पारित हुआ 19 अप्रैल 2017 को ये पूरे देश में लागू हो गया।

सक्षिंप्त इतिहास
भारत में सर्वप्रथम स्वतन्त्रता से पूर्व 1912 में इण्डियन लूनसी एक्ट (ILA) आया इसमें पागल व्यक्ति को मूर्ख या अस्वस्थ दिमाग वाले मनुष्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके बाद 1987 में मानसिक स्वास्थ अधिनियम आया जिसमें मानसिक मंद व्यक्तियों को मनोरोगी की परिभाषा से अलग रखा गया है। इस विभेदन से पहली बार मनोरोगी एवं मानसिक विकलांग लोगों के विधायी हितों के समान नहीं समझा गया। पूरी दुनियां का ध्यान निःशक्तता की तरफ उस समय आकृष्ट हुआ जब 1981 में अन्तर्राष्ट्रीय निःशक्तता दिवस की घोषणा की गई इसके कुछ वर्षों बाद भारत में निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा पर पहल सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई जिसे नई शिक्षा नीति के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात 1992 में भारत सरकार ने निःशक्तता के क्षेत्र में जनशक्ति विकसित करने हेतु भारतीय पुर्नवास अधीनियम लागू कर उसे एक स्वायत्तशासी निकाय का दर्जा प्रदान कर दिया। इस अधीनियम का प्रमुख कार्य निःशक्तता पुर्नवास के क्षेत्र में बेहतर गुणवक्तापूर्ण पुर्नवास व्यावसायिक तैयार करना है।
भारत में निःशक्तता के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम 1995 में पारित हुआ, जिसे निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम न सिर्फ निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण बल्कि निःशक्तता की रोकथाम से लेकर निःशक्तता की शीघ्र पहचान, शीघ्र हस्तक्षेप, निःशक्तजनों की शिक्षा रोजगार, सकारात्मक कार्यवाही, सामाजिक सुरक्षा इत्यिादि सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। सभी जानते हैं कि कुछ दिव्यांगतायें ऐसी हैं जिन्हें प्रशिक्षण और पुर्नवास के बाद भी जीवनपर्यन्त देखभाल की जरूरत होती है। अभिभावकों के मस्तिष्क में हमेशा एक प्रश्न रहता है कि हमारे बाद हमारे बच्चे का क्या होगा? राष्ट्रीय न्यास अधीनियम इस प्रश्न का उत्तर है। ये अधीनियम 1999 में पारित किया गया जिसे स्वालीनता, मानसिक मंदता, प्रमस्तिकीय पक्षाघात एवं बहुत–निःशक्त व्यक्तियों के लिए गठित "राष्ट्रीय न्यास अधीनियम 1999 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत सिर्फ उन संगठनों का पंजीकरण होता है, जो इसमें उल्लिखित निःशक्तता पर कार्य करते हैं। राष्ट्रीय न्यास द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से कई योजना संचालित की जाती हैं।
देश में निःशक्तजन अधिनियम को एक दशक पूरा होने के उपरान्त दिसम्बर 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक नीति प्रस्तुत की गई जिसे उसी समय मंजूरी मिल गयी थी इसकी घोषणा तत्कालीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिका मंत्री मीरा कुमार द्वारा 10 फरवरी 2006 को की गयी। एतवएव इसे ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006'' के नाम से जाना जाता है। इस नीति के अन्तर्गत कुल 12 कथन हैं। जिसमें निःशक्तता की पहचान, शीघ्र हस्तक्षेप, चिकित्सा, शिक्षा, सहायक उपकरण, पुर्नवास, रोजगार, बाधामुक्त वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, खेलकूद मनोरंजन, सांस्कृतिक क्रिया कलाप, शोध इत्यादि

संबन्धित कार्यवाहियों को सम्मिलित किया गया है। इसके पश्चात भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2009 में ''बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधीनियम'' को स्वीकृति प्रदान की जिसे प्रधानमंत्री द्वारा 1 अप्रेल 2010 से पूरे देश में लागू करने की घोषणा की गई। इस अधिनियम में शिक्षा से वंचित विभिन्न पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के साथ–साथ निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

1912 में प्रारम्भ हमारी ये यात्रा 2009 तक आ गई इसमें सरकार ने विभिन्न अधिनियमों व नीतियों के माध्यम से ऐसे समावेशित समाज का निर्माण करने का प्रयास किया लेकिन ये इतना प्रभावपूर्ण नहीं रहा इसलिए समावेशन को प्रभावपूर्ण रूप से लागू करने के लिए 28 दिसम्बर 2016 को आर0पी0डब्लू0डी0 एक्ट 2016 पारित हुआ जिसे हम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के नाम से जानते हैं।

भारत में दिव्यांग व्यक्ति– 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में दों करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में दिव्यांग है। नया कानून बन जाने से तकरीबन 10 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

आर0पी0डब्लू0डी0 एक्ट 2016– उपरोक्त सभी प्रयासों को धरातल पर उतारने के लिए एक नये अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई इसी के परिणामस्वरूप 28 दिसम्बर 2016 को आर0पी0डब्लू0डी0 एक्ट 2016 लोकसभा में भारी बहुमत से पारित हुआ और 19 अप्रैल 2017 को पूरे देश में लागू हो गया। यू0एन0सी0आर0पी0डी0 (UNCRPD) के आधार पर इसका निमार्ण किया गया। ये पी0डब्लू0डी0 एक्ट 1995 का रूपान्तरित रूप नहीं है ये एक अधिनियम है जो उसके स्थान पर आया है इसमें कुल सत्रह (17) अध्याय हैं।

अध्याय–एक में अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों को परिभाषित किया गया है। अध्याय–दो में समानता व विभेदीकरण की बात कही गयी है विशेषकर निःशक्त बच्चों व महिलाओं एवं दिव्यांगजनों के साथ अमानवीय व्यवहार न हो, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाय, न्याय व मतदान तक उनकी पहुॅच हो, उनकी कानूनी क्षमता का सम्मान हो इसे सीमित संरक्षण के माध्यम से परिभाषित किया है, कि कोई भी निर्णय लेने का अधिकार अभिभावक व निःशक्त व्यक्ति दोनों को होगा लेकिन अन्तिम निर्णय निःशक्त व्यक्ति का मान्य होगा। अध्याय–तीन में शैक्षिक संस्थाओं के कार्य, समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन व व्यस्क शिक्षा में निःशक्त व्यक्तियों की भागीदारी को परिभाषित किया है। अध्याय–चार में कौशल विकास व रोजगार के अन्तर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव न किया जाय और उनके लिए समान अधिकार नीति का उल्लेख है। अध्याय–पांच निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और मनोरंजन के संबध में बात कही गयी है इसमें दिव्यांग व्यक्तियों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराई जाय, सरकारी गैर–सरकारी अस्पताल तक उनकी पहुॅच सुनिश्चित हो, संबधित सरकार दिव्यांगजनों के रोजगार से संबधित योजनाओं प्रोत्साहित करें दिव्यांग सशक्तिकरण में शोधों को प्रोत्साहित करें। अध्याय–छः में बेंचमार्क दिव्यांगता के लिए उपलब्ध विशेष प्रावधान को परिभाषित किया गया है। जैसे– 18 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण, रोजगार में 4 प्रतिशत आरक्षण। अध्याय–सात में तीव्र दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान को परिभाषित किया गया है। जैसे– अधिक सहायता उपलब्ध कराना, देखभाल कर्ता उपलब्ध कराना आदि। अध्याय–आठ में संबधित सरकार के कार्य व दायित्वों की बात कही गयी है। अध्याय–नौ में दिव्यांग व्यक्तियों के संस्थान के पंजीकरण और उनके अनुदान से संबधित बातों का उल्लेख किया गया है। अध्याय–दस में दिव्यांगता के प्रमाणीकरण आंकलन नियमावली व प्रमाणपत्र प्रक्रिया को दर्शाया गया है। अध्याय–ग्यारह मे केन्द्रीय और राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड तथा जिला स्तर समिति के गठन व सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तों का वर्णन किया गया है। अध्याय–बारह में दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त की नियुक्ति उनके कृत्य व शक्तियों का वर्णन किया गया है। अध्याय–तेरह में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष अदालत स्थापित किये जाने का उल्लेख है। अध्याय तेरह में इस अधिनियम के उल्लंघन करने में दंड के प्रावधान को बताया गया है। अध्याय–चौदह–दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय अनुदान से सम्बन्धित इसमें दिव्यांग जनों के लिए राष्ट्रीय निधि के गठन की बात की गई है। अध्याय–पन्द्रह– दिव्यांगों के लिए राज्य अनुदान से सम्बन्धित इसमें दिव्यांग जनों के लिए राज्य निधि के गठन की बात की गई है। राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग जनों के लिए राज्यनिधि नामक एक निधि का गठन किया जायेगा। अध्याय–सोलह मे इस अधिनियम के उल्लघंन करने मे दण्ड के प्रावधान को बताया गया है। अध्याय–सत्रह में केन्द्रीय व राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति व अनुसूचियों के शंसोधन करने की शक्ति का वर्णन किया गया है।

आर0पी0डब्लू0डी0 एक्ट 2016 की मुख्य विशेषताऐं–

इस विधेयक का निमार्ण न्छब्त्च्क के आधार पर किया गया ताकि दिव्यांगजनों के साथ न्याय हो पाये और एक समावेशी समाज का निमार्ण हो। इसमें निम्नलिखित विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है।

- इस विधेयक के तहत दिव्यांगों की श्रेणियों को सात ;च्ॅक ।ब्ज 1995द्ध से बढ़ा कर 21 कर दिया है। जो निम्नलिखित है।

1. अन्धता (Blindness)
2. निम्नदृष्टि (Low Vision)
3. कुष्ठ रोग मुक्त (Leprosy Cured Person)
4. श्रवण बाधित (Hearing Impaired)
5. गतिविषयक दिव्यांगता (Locomotor Disability)
6. बौनापन (Dwarfism)
7. बौद्विक दिव्यांगता (Intellectual Disability)
8. मानसिक रूग्णता (Mental Illness)
9. स्वपरायणता स्पैक्ट्रम विकार (Autism Spectrum Disorder)
10. प्रमस्तिक घात (Cerebral Palsy)
11. पेशीय दुष्पोषण (Muscular Dystrophy)
12. चिरकारी तंत्रिका दशायें (Chronic Neurological Conditions)
13. विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता (Specific Learning Disabilities)
14. बहु स्केलेरोसिक (Multiple Sclerosis)
15. वाक और भाषा दिव्यांगता (Speech and Language Disability)
16. थेलेसीमियां (Thalassemia)
17. हेमोफीलिया (Hemophilia)
18. स्किल कोशिका रोग (Sickle Cell Disease)
19. बहु दिव्यांगता (Multiple Disabilities)
20. तेजाब आक्रमण पीड़ित (Acid Attack Victims)
21. पार्किंसन रोग (Parkinson's disease)

इसमें पहली बार ब्लड डिसऑडर हेमोफीलिया (Hemophilia), थेलेसीमिया (Thalassemia) और स्किल कोशिका रोग (Sickll बमसस कपेमेंमद्ध को एक अलग वर्ग में रखा गया है इसमें पार्किंसन, (Parkinson) तेजाब हमले के पीड़ितों (Acid attack अपबजपउद्ध को भी सम्मिलित किया गया है। बौनापन (Dwarfism), पेशीय दुष्पोषण (Muscular Dystrophy) को अलग से (Specified disability) सम्मिलित किया गया है। वाक और भाषा दिव्यांगत (Speech and Language Disability) और

विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता (Specified Learning Disability) को भी पहली बार सम्मिलित किया गया है।

- **विकलांगताओं को तीन कक्षाओं में बांटा गया है।**

A. प्रथम. दिव्यांग व्यक्ति (Person with Disability) – इसके अन्तर्गत वे सभी व्यक्ति सामिल हैं जो किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित है।

B. द्वितीय– बेंचमार्क दिव्यांगता (Benchmark Disability) – इसमें वे व्यक्ति सम्मिलित होंगें जो विधेयक में निर्धारित मानदण्ड के अर्न्तगत आयेंगें जैसे आर्थिक लाभ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जायेगा जिनमें विकलांगता का स्तर कम से कम 40 प्रतिशत होगा इन्हीं व्यक्तियों को– स्कॉलरशिप, आरक्षण, मुफ्त शिक्षा, रेलवे पास आदि दिया जायेगा।

C. तृतीय–तीव्र आवश्यक सहायता (High Support Need) – इसमें तीव्र विकलांगता वाले व्यक्ति सम्मिलित किये जायेंगें और उसी के अनुसार उन्हें सुविधायें प्रदान की जायेंगी। जैसे– देखभाल करने वाला (Care giver), मुफ्त इलाज, अधिक सहायता आदि। तीव्र विकलांगता का पता करने के लिए एक रिसर्च कमेटी राज्य व केन्द्रीय स्तर पर बनायी जायेगी।

- किसी भी नई निशक्तता को नोटिफाई करने के लिए सरकार अधिकृत है। यदि किसी अन्य विकलांगता को इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता हुई तो केन्द्र सरकार दिव्यांगता की नई श्रेणी सूचि में जोड़ सकती है।
- 6 से 18 वर्ष के विकलांग बच्चों (Benchmark Disability) को सरकार द्वारा पंजीकृत किसी भी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है।
- उच्च शिक्षा में विकलांग व्यक्तियों (Benchmark Disability) को 3 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।
- सरकारी तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
- विकलांग व्यक्तियों (Benchmark Disability) को सरकारी नौकरी में 3 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।
- ग्रामीण दिव्यांगों (Benchmark Disability) को किसी भी विकास कार्य के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।
- सभी सार्वजनिक भवनों को चाहें वे सरकारी हो या प्राइवेट तय सीमा तक निशक्तजन सुगम्य किया जाना सुनिश्चित है। सार्वजनिक भवनों को (Universal Design) के अन्तर्गत स्वीकार किया जायेगा। इस विधेयक में सुगम्यता को कानूनी मान्यता दी गयी है।
- निशक्तजन सहायता हेतु केन्द्र व राज्य स्तर पर फण्ड का निमार्ण किया जायेगा जिसके द्वारा निशक्तजन के लिए सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।
- केन्द्रीय स्तर पर मुख्य निशक्तजन आयुक्त के साथ दो आयुक्त और 11 सदस्यों की सलाहाकार समिति का गठन किया जायेगा।
- विधेयक में निशक्तता मामलों में मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्तों को भी अधिकार दिये गये हैं जो नियामक इकाई के रूप में काम करेंगें।
- जिला स्तर पर विशिष्ट कमेटी बनायी जायेगी जिन्हें सरकार के माध्यम से सत्ता दी जायेगी वह जिला स्तर पर विकलांगता कार्यक्रमों को देखेगी।
- इस विधेयक में प्रत्येक 5 साल में स्कूलों में निशक्तता की पहचान के लिए सर्वे का प्रावधान है। जिससे बच्चों की शीध्र पहचान, आवश्यता की पहचान व विकलांगता की पहचान हो सके।
- विकलांगजन के अधिकार हनन की सुनवाई के लिए अलग से न्यायालय की स्थापन की जायेगी जिससे उन्हें असुविधा न हो।
- All India Permit की बात कही गई है जिसके अन्तर्गत अर्न्तराष्ट्रीय पहचान पत्र (Universal Identity Card) के प्रस्ताव को रखा गया है।
- दिव्यांगजनों के साथ विभेद करने पर कम से कम 6 माह और ज्यादा से ज्यादा 2 साल की जेल और कम से कम 10,000 रू व ज्यादा से ज्यादा 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
- लिखने–पढ़ने के अलावा जिससे भी संप्रेषण होता है जैसे ब्रेल, व्यापक मुद्रण (Large Print), श्रवण वर्णन (Audio Description), सांकेतिक भाषा (Sign language) सभी को संप्रेषण (Communication) के माध्ययम के रूप में स्वीकार किया जायेगा।
- विकलांग व्यक्तियों की कानूनी क्षमता (legal Capacity) को सम्मान देना . प्रत्येक व्यक्ति में कानूनी क्षमता होती है जिसके द्वारा वह अपने निर्णय लेने में सक्षम होता है ये क्षमता कम और ज्यादा हो सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को विकलांग व्यक्तियों की कानूनी क्षमता को सम्मान देना होगा।
- निशक्तजनों के संबध में निर्णय लेने के लिए अभिभावकों की भूमिका को दो रूप में वर्णित किया गया है।

A. सीमित संरक्षण (Limited Guardian ship)– इसमें निशक्तजन व अभिभावक दोनों मिलकर निर्णय लेंगे लेकिन अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार दिव्यांगजन को होगा जो उसकी कानूनी क्षमता को दर्शाता है। विकलांगता के कारण कानूनी क्षमता नहीं है ये ये नहीं कह सकते क्षमता कम और ज्यादा हो सकती है।

B. पूर्ण संरक्षण (Plenary Guardianship)- इसमें पूर्णरूप से अभिभावक निशक्तजन के संबन्ध में निर्णय लेगा ये तीव्र विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों से संबधित है। उचित अनुकूलन (Rasovable Accommodation) की बात कही गयी है। दिव्यांग व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति के स्तर तक लाना कोई दया धर्म नहीं है। वह उसका अधिकार है जैसे व्हील चेयर विकलांग व्यक्ति के लिए उचित सहायता है।

- प्रधानमंत्री की डांम पद प्दकपं कार्यक्रमों को इसमें भी जोड़ा गया है दिव्यांगजनों की कौशल विकास Skill Develpment की बात कही गयी है। जिससे वे एक उत्पादक के रूप में समाज में अपना योगदान दे पाये।
- Establishment को परिभाषित किया गया है जिसके अन्तर्गत सरकारी व प्राइवेट दोनों क्षेत्रों को सामिल किया गया है। विकलांग व्यक्तियों के आय उत्पादक के स्त्रोतों के रूप में इन दोनों क्षेत्रों को इस कानून की सभी धारायें माननी पड़ेंगी।
- सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रभावपूर्ण मापन के द्वारा यह सुनिश्चित करे कि विकलांग व्यक्ति अपने अधिकारों का आनन्द दूसरों के समान उठा सके।

उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर कह सकते हैं कि सरकार ने समावेशी समाज के निमार्ण में एक साहसिक कदम उठाया है। इसमें सम्मिलित सभी विशेषतायें हमें समावेशी समाज की ओर अग्रसर करती हैं। जैसे सरकार ने सात दिव्यांगताओं के आधार पर 21 दिव्यांगताओं को इसमें स्थान दिया है, ताकि प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति के साथ न्याय हो। दिव्यांग व्यक्तियों की कानूनी क्षमता को सम्मान देने की बात कही है। ताकि उन्हें समाज में समान अधिकार मिले। सीमित संरक्षण व पूर्ण संरक्षण के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में सम्मिलित किया गया है।

इसमें उनकी कानूनी क्षमता को सम्मान प्रदान करने की बात कही गयी है। ताकि वे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकें। दिव्यांगताओं को तीन कक्षाओं में बांट कर उनके अधिकारों को सुरक्षित किया गया है ताकि प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति के साथ न्याय हो और उनका समाज में समावेशन हो पाये। सार्वजनिक भवनों तक दिव्यांग व्यक्तियों की पहुॅच सुगम्य हो उसकी पहल की गई है, क्योंकि ये समावेशन का पहला कदम है कि प्रत्येक व्यक्ति की देश के सभी सार्वजनिक स्थल तक सुमम्य पहुॅच हो। सम्पूर्ण सम्प्रेषण (Total Communication) को स्वीकारा गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम जैसे– सांकेतिक भाषा, व्यापक मुद्रण, श्रव्य वर्णन आदि से अपनी बात को कहे तो उसे सम्प्रेषण के माध्यम के रूप में स्वीकारा जाये। पूर्ण सम्प्रेषण को स्वीकार करके हम करके समावेशन को प्रोत्साहित करने की पहल की गयी। इसके लिए दिव्यांगजनों हेतु कौशल विकास कार्यक्रम चलाये जायेंगें। अर्न्तराष्ट्रीय पहचान पत्र, रोजगार शिक्षा आदि में आरक्षण प्रदान करके सरकार ने एक समावेशित समाज की नींव रखी है। समावेशन के लिए सरकार की ये पहल सराहनीय है।

निष्कर्ष

आर0पी0डब्लू0डी0एक्ट 2016 (RPWD Act 2016) की सभी विशेषतायें हमें समावेशित समाज की ओर अग्रसित करती हैं। समावेशन एक सोच है जो सभी के अधिकार, सम्मान व विकास की बात करता है। वह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग व्यक्तित्व, रूचि, सोच व क्षमता होती है। हमें उसी आधार पर स्वीकारना चाहिए। यदि हम आर0पी0डब्लू0डी0एक्ट (RPWD Act 2016) की सभी विशेषताओं को स्वीकारें और उनका क्रियान्वयन सुचारू रूप से करें तो यह एक्ट समावेशित समाज के निमार्ण में मील का पत्थर साबित होगा।

सन्दर्भ

1. https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
2. https://www.indianemployees.com/acts-rules/details/rights-of-persons-with-disabilities-act-2016-in-hindi
3. https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2016-49_1.pdf